

कार्यालय, अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

E-mail - deanshahdol@gmail.com, Website - WWW.GMCSSHAHDOL.ORG, Office No. :- 07652-243000

कमांक/...6888/.../स्था./एम.सी./2019

शहडोल, दिनांक 14/12/2019

Institutional Ethics & Review Committee (IERC) Meeting Minutes

दिनांक 06.12.2019 को नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की अध्यक्षता में Institutional Ethics & Review Committee (IERC) कमेटी की प्रथम बैठक महाविद्यालय के सभागार में सम्पन्न की गई।

सर्वप्रथम समिति की बैठक में उपस्थित मनोनीत अध्यक्ष, मेम्बर सेक्रेट्री एवं सभी सदस्यगणों का परिचय एवं स्वागत किया गया। स्वागतोपरांत कमेटी में उपस्थित कमेटी के सदस्यों से यह चर्चा की गई कि कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि चिकित्सा महाविद्यालय में होने वाले सभी रिसर्च (शोध) कार्यों का IERC दिशानिर्देश के अनुसार अनुमति एवं अनुमोदन की आवश्यकता होगी ताकि कार्य नैतिक सिद्धांतों (ICMR Guideline 2017) के अनुरूप हों। शहडोल संभाग आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, अतः आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने हेतु एवं रिसर्च का अनुभव फैकल्टी एवं छात्रों को प्राप्त हो इस उद्देश्य से IERC का गठन किया गया है।

उक्त कमेटी Scientific Review & Ethics Committee दोनों है, अतः यह कमेटी इस बात को सुनिश्चित करेगी कि महाविद्यालय में होने वाले रिसर्च, नैतिक मापदण्डों के अनुरूप हो साथ ही वैज्ञानिक कसौटी में खरे हों।

गठित की गई कमेटी के सदस्य और उनके दायित्व

Sr. No.	Name	Affiliation	Designation
1.	Dr. Tarun Thakur	Head of the Department, Department of Environmental Science Indira Gandhi National Tribal University Amarkantak (M.P.)	Chairperson
2	Dr. K.S.C. Bose	Professor & Head of the Department Department of Biochemistry Government Medical College Shahdol (M.P.)	Member Secretary
3.	Dr. Akash Ranjan Singh	Assistant Professor Department of Community Medicine Government Medical College Shahdol (M.P.)	Alternate Member Secretary
4.	Dr. Pragati V. Chavan	Professor & Head of the Department Department of Community Medicine Government Medical College Shahdol (M.P.)	Basic Medical Scientist
5.	Dr. Debranjana Datta	Assistant Professor Department of Pharmacology Government Medical College Shahdol (M.P.)	Basic Medical Scientist
6.	Dr. Rupesh Gupta	Assistant Professor Department of General Medicine Government Medical College Shahdol (M.P.)	Member/Clinician
7.	Dr. Neha Jain	Assistant Professor Department of Obstetrics Gynecology Government Medical College Shahdol (M.P.)	Member/Clinician
8.	Mr. Harsh Vardhan Singh	LLB, Lawyer & Respected citizen, Shahdol Practicing at High Court, Jabalpur for more than 8 Years.	Legal Expert

10/12/19

MU

9.	Mr. Geeta Singh Parihar	Social Activist	Social Activist
10.	Dr. Rajesh Pandey	Surgeon & Chief Medical & Health Officer, District Shahdol (M.P.)	Local Health Authority
11.	Mr. Rajendra Prasad Sharma	Lay Person	Lay Person
12.	Mr. Jyoti Sharma	Lay Person	Lay Person

- Chairperson** (डॉ. तरुण ठाकुर, विभागाध्यक्ष, **Environmental Science**, इन्दिरा गांधी नेशनल ट्राइवल यूनिवर्सिटी अमरकंटक (म.प्र.) :- आप इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। आपके रिसर्च से संबंधित अनुभव को ध्यान रखते हुए आपसे अपेक्षा है कि कमेटी के संज्ञान में आये सभी रिसर्च प्रोजेक्ट पर नैतिक मापदंड एवं वैज्ञानिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु आप कमेटी को अपना निष्पक्ष अभिमत एवं मार्गदर्शन देंगे।
- Member Secretary** (डॉ. के.एस.सी.बोस, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष बायोकेमेस्ट्री विभाग शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.) :- इस कमेटी की बैठक का आयोजन आपके द्वारा एवं आपकी उपस्थिति में आयोजित की जावेगी। बैठक के बारे में कमेटी के सारे सदस्यों को पूर्ववत् सूचित किया जावेगा। प्रोजेक्ट के बारे में विवेचना एवं विश्लेषण करके, सभी सदस्यों का अभिमत प्राप्त कर निर्णय लिया जावेगा एवं इस निर्णय से सदस्यों एवं रिसर्चर को आप अवगत करायेंगे। आपकी अनुपस्थिति में डॉ. आकाश रंजन सिंह (Alternate Member Secretary) आपके दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
- Alternate Member Secretary** :- डॉ. आकाश रंजन सिंह, सहायक प्राध्यापक, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.) इस कमेटी में सहायक सदस्य सचिव होंगे वो इस कमेटी में डॉ. के. एस.सी.बोस के साथ उनके सहायक के रूप में अपने दायित्वों निर्वहन करेंगे।
- Basic Medical Scientist** :- डॉ. प्रगति विष्णु चन्हाण, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष कम्युनिटी मेडिसिन विभाग, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल इस कमेटी में प्रस्तुत या उसके संज्ञान में आये सभी विचाराधीन रिसर्च प्रोजेक्ट नैतिक मापदंडों एवं वैज्ञानिक कसौटी पर खरे हों, उसमें अपने विचार एवं अभिमत से मेम्बर सेक्रेटरी को अवगत करायेंगी।
- Basic Medical Scientist** :- डॉ. देवरंजन दत्ता, सहायक प्राध्यापक, फार्माकोलोजी विभाग, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.) उनका दायित्व मुख्यतः यह रहेगा कि कमेटी में प्रस्तुत या उसके संज्ञान में आये सभी विचाराधीन रिसर्च प्रोजेक्ट नैतिक मापदंडों एवं वैज्ञानिक कसौटी पर खरे हों उसमें अपने विचार, अभिमत से मेम्बर सेक्रेटरी को अवगत करायेंगे।
- Member/ Clinician** :- डॉ. रूपेश गुप्ता, सहायक प्राध्यापक, जनरल मेडिसिन विभाग, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल आप इस कमेटी में प्रस्तुत या उसके संज्ञान में आये सभी विचाराधीन रिसर्च प्रोजेक्ट नैतिक मापदंडों एवं वैज्ञानिक कसौटी पर खरे हों उसमें अपने विचार एवं अभिमत से मेम्बर सेक्रेटरी को अवगत करायेंगे।
- Member/ Clinician** :- डॉ. नेहा जैन, सहायक प्राध्यापक, स्त्री रोग विभाग, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल आपका दायित्व मुख्यतः यह रहेगा कि कमेटी में प्रस्तुत या संज्ञान में आये सभी विचाराधीन रिसर्च प्रोजेक्ट नैतिक मापदंडों एवं वैज्ञानिक कसौटी पर खरे हों, उसमें अपने विचार एवं अभिमत से मेम्बर सेक्रेटरी को अवगत करायेंगी।

10/12

MU

8. **Legal Expert** :- श्री हर्षवर्धन सिंह, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय जबलपुर (म.प्र.) आप इस कमेटी में रिसर्च प्रपोजल में विधि से संबंधित विषयों पर, कमेटी को अपने अभिमत से अवगत करावेंगे एवं कमेटी को न्याय संबंधी नियमों के संबंध में जानकारी देंगे।
9. **Social Activist** :- गीता सिंह परिहार, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक विषयों से संबंधित विचाराधीन रिसर्च प्रपोजल में स्थानीय मर्यादाओं के अनुरूप कार्य हों जिनको सुनिश्चित करते हुए अपने अभिमत से मेम्बर सेक्रेटरी को अवगत करायेंगी।
10. **Local Health Authority** :- डॉ. राजेश पाण्डेय, मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी जिला शहडोल आप कमेटी को जिले के चिकित्सा व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के अनुरूप रिसर्च कार्यों का सम्पादन करने में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेंगे।
11. **Lay person** :- श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा :- आप इस कमेटी में आम नागरिक के मूलभूत अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु कमेटी को अपने अभिमत से अवगत करावेंगे।
12. **Lay person** :- श्रीमती ज्योति शर्मा, सहायक ग्रेड-03, आप इस कमेटी में आम नागरिक के मूलभूत अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु कमेटी को अपने अभिमत से अवगत करावेंगे।

ICMR 2017 के मापदंडानुसार इस कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 50 प्रतिशत मेम्बर गैर चिकित्सक हैं। सभी रिसर्चर अपने प्रपोजल इस कमेटी में विभागाध्यक्ष से अग्रेसित कराकर कमेटी की बैठक से कम से कम 15 दिन पूर्व प्रस्तुत करें। इसके उपरांत समस्त प्राप्त हुए प्रपोजल ई-मेल द्वारा इस कमेटी के सभी सदस्यों को भेजा जावेगा, जिससे कि आयोजित होने वाले बैठक के पूर्व सभी सदस्यों को रिसर्च प्रोजेक्ट की जानकारी हो तथा वे अपने अभिमत वहाँ व्यक्त कर सकें। जब यह कमेटी सुनिश्चित कर लेगी कि रिसर्च प्रपोजल मापदंडों के अनुरूप हैं, तभी इसकी स्वीकृति, कमेटी के मेम्बर सेक्रेटरी द्वारा रिसर्चर को प्रदान की जावेगी। ऐसी अपेक्षा है कि कमेटी के स्वीकृति के बिना महाविद्यालय में पदस्थ समस्त चिकित्सा शिक्षक एवं प्रवेशित छात्रों द्वारा किसी भी प्रकार का रिसर्च/डेटा कलेक्शन निषेध होगा।

अतः कमेटी के सदस्यों से अपेक्षा है कि बैठक में विचाराधीन समस्त प्रपोजल एवं उनसे संबंधित विचाराधीन बिन्दु कमेटी के सारे सदस्य गुप्त रखेंगे, साथ ही सदस्यों से अपेक्षा है कि वे प्रपोजल का अध्ययन एवं विश्लेषण कर अपने दायित्व के अनुरूप, अपने अभिमत से मेम्बर सेक्रेटरी एवं अन्य सदस्यों को अवगत कराएँगे।

“अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गई”



मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)